100
2

प्रपत्र–6

प्र.न. 204
26.6.15

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"

(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय
डूंगरपुर

विषय :– राजस्व रिकॉर्ड **दुरुस्ती** के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम कड़ी पट्टी की जमाबन्दी

संवत् 2068-2071 खाता संख्या 69,70 में -

खाता नं. 69, 70 प्रार्थी का नाम रामसिंह के बजाय रामलाल दर्ज किया है जिसे शुद्ध किये जाने की कृपा करे। खाता नं. 82 में प्रार्थी का नाम रामसिंह पुत्र सुलतान दर्ज हो रहा है जो सही है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

रामसिंह

प्रार्थी

दिनांक :

रामसिंह पुत्र सुलतान
मोहल्ला ... कड़ीपट्टी

राजस्व लोक अदालत अभियान 2015

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमान्, निवेदन है कि प्रार्थी का नाम खाता संख्या ग्राम कड़ी पट्टी में रामसिंह पुत्र सुखदेव दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम रामलाल के बजाय रामसिंह दर्ज है अतः खाता सं. 69,70 मौजा कड़ी पट्टी में रामलाल के स्थान पर रामसिंह किया जाना उचित है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी शुद्ध किया जाना उचित है

26-6-15

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. खातेदार का नाम रामसिंह शुद्ध किया जाना उचित है

(अशोक कुमार मित्तल)
नायब तहसीलदार तलावड़ा

लोक अदालत कैम्प तलावड़ा

आदेश

26-6-15 प्रार्थी रामसिंह पुत्र सुखदेव के ग्राम कड़ी पट्टी की जमाबन्दी सं० 2068-71 में खाता संख्या 69,70 मे दर्ज नाम "रामलाल" के स्थान पर "रामसिंह" शुद्ध करने का निवेदन किया है। हल्का पटवारी, I.L.R. व नायब तहसीलदार तलावड़ा ने भी उक्त खातो मे दर्ज नाम "रामलाल" के स्थान रामसिंह शुद्ध करने की अनुशंषा की है। अतः नायब तहसीलदार तलावड़ा की सिफारिश के आधार पर ग्राम कड़ी-पट्टी की जमाबन्दी सं० 2068-71 मे खाता संख्या 69,70 मे दर्ज नाम "रामलाल" के स्थान "रामसिंह" शुद्ध करने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

उप खण्ड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
कैम्प - तलावड़ा

3

राजस्थान सरकार प्रपत्र 8

न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) **कैम्प तलावडा**

–:आदेश:–

प्रार्थी के **"खाता दुरूस्ती"** प्रार्थना पत्र एवं पटवारी तलावडा भू.अ.नि. कुनकटाकलॉ की रिपोर्ट तथा नायव तहसीलदार तलावडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे **ग्राम कडी पटटी** तहसील गंगापुर सिटी व जिला सवाई माधोपुर की जमाबन्दी सम्वत **2068–71** में खाता संख्या 69, 70 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्व प्रविष्टि जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जानी है)
1	कडी पट्टी	69	रामलाल पि. सुखदेव	रामसिंह पि. सुखदेव **(खाते मे दर्ज अन्य प्रविष्ठियॉ यथावत रहेगी ।)**
2	कडी पट्टी	70	रामलाल पि. सुखदेव	रामसिंह पि. सुखदेव **(खाते मे दर्ज अन्य प्रविष्ठियॉ यथावत रहेगी ।)**

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलेक्टर गंगापुर सिटी

क्रमांक:– 753-55
दिनांक:– 26 जून 2015

प्रतिलिपि:–

1. तहसीलदार गंगापुर सिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामसिंह पुत्र सुखदेव निवासी कडी पट्टी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलेक्टर गंगापुर सिटी